>

Title: Regarding need to amend the laws governing forest reserve areas and Wild Life Protection Act, with a view to promote socio-economic development of tribal areas in Bharuch, Gujarat.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फोरेस्ट रिजर्व कानूनों एवं वन्य जीव कानूनों के माध्यम से आदिवासियों को उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी आजादी के 60 साल के बाद नारकीय जीवन बिताने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच नर्मदा जिले के झगडीया डेडोयापड़ा साग सारा राजपीयला के 100 से ज्यादा गांवों में इन दोनों कानूनों के तहत आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़के बनाने की मंजूरी नहीं मिल रही है, सिंचाई योजना को मंजूर नहीं किया गया है। बिजली, दूरदर्शन एवं टेलीफोन की सुविधा से इन आदिवासियों को वंचित होना पड़ रहा है, पेयजल के लिए चार से पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 85 प्रतिशत लोग आ अशिक्षित हैं। ग्रामीण विकास का पैसा विकास कार्यों की मंजूरी नहीं मिलने से वापिस हो गया है। गत दो माह से मेरे संसदीय क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांवों में कोई भी योजना से पक्की सड़कें नहीं बनी हैं और आदिवासियों द्वारा धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। इन कानूनों के कारण आदिवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन कानूनों में संशोधन किया जाये और संपूर्ण कार्य करने हेतु पैकेज दिया जाए, जिससे आदिवासी सम्माननीय जीवन जी सके और अपने बच्चों का विकास कर सकें।